

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

राजस्व ग्राम <u>खडडा</u> पंचायत <u>खडडा</u> मू०अ०नि०वृत्त <u>आबूरोड</u> तहसील- <u>आबूरोड</u>						
क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०वि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	195	633	0.9737	1. सुरज देवी पत्नी हंसराज हि. 2/3 जाति माली सा. देह खातेदार 2. हंसा पुत्र खासाली हि. 1/3 जाति- राजपुत्र सा. खडडा खातेदार राहिल हि. 1/3 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक शाखा आबूरोड	1. सुरज देवी पत्नी हंसराज हि. 2/3 जाति माली सा. देह खातेदार 2. हंसा पुत्र खासाली हि. 1/3 जाति- माली सा. खडडा खातेदार राहिल हि. 1/3 (पूर्ण खाता) राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा आबूरोड	
मुताबिक मिसल/जमाबंदी संवत् 2076-2079 (वर्ष 2019) से स्पष्टी के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138 राज० मू० राजस्व अधिनियम 1958 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय <u>आबूरोड</u> के समक्ष श्रयण योग्य है।				साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटयारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।	प०हल्का <u>खडडा</u> मू०अ०नि० <u>आबूरोड</u> की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण पन्दोबस्त संक्रियाओं के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय <u>आबूरोड</u> को स्पष्ट प्रेषित है।	प०हल्का <u>खडडा</u> मू०अ०नि० <u>आबूरोड</u> राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हाल जमाबंदी में अमल किया जावे। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड कार्यालय आबूरोड ह० उपखण्ड अधिकारी
दिनांक _____	<u>Bhanu</u> 24/12/25 पटयारी (सदरकारी) पटयारी/असल खडडा तहसील-आबूरोड (सिराही)		दिनांक <u>24/12/25</u>	<u>[Signature]</u> ह० मू०अ०नि० <u>आबूरोड</u>	<u>[Signature]</u> 24/12/25 ह० राजस्व अधिकारी जिला-सिराही	